

पत्र संख्या:-15/एम 1-131/2011-1728  
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

डा० एस०एम०करीम,  
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

कुलसचिव,  
राज्य के सभी विश्वविद्यालय।


पटना, दिनांक:-.....03/9/2014

विषय घाटानुदान प्राप्त महाविद्यालयों में रिक्त पदों पर शिफ्टिंग एवं समायोजन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निदेशानुसार कहना है कि घाटानुदान प्राप्त महाविद्यालयों में रिक्त पदों पर किसी भी प्रकार की शिफ्टिंग एवं समायोजन से विभाग असहमति संसूचित करता है। बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 35 (3) के तहत कोई भी इस प्रकार की नियुक्ति बिना सरकार के अनुमोदन किये अवैध मानी जाएगी।

विश्वासभाजन,



(एस०एम०करीम) 219/14

निदेशक (उच्च शिक्षा)

२०१४